कोर्ट संख्या–5

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– माननीय वीर नायक सिंह, सदस्य (न्यायिक)
मा0 डा0 रमाशंकर मौर्य, सदस्य (प्रशासनिक)

निर्देश याचिका संख्या–1019/2023

दिग्विजय नरायन सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, पुत्र श्री रमा शंकर, निवासी 203, हवेली अपार्टमेन्ट मऊ रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश।

.....याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0 प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश आबकारी, प्रयागराज।

...विपक्षीगण।

उपस्थित अधिवक्तागण
श्री प्रशान्त चौरसिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते (याची)
विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, वास्ते (विपक्षीगण)

निर्णय

(माननीय श्री वीर नायक सिंह, सदस्य (न्यायिक) द्वारा)

याची की ओर से प्रश्नगत निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अंतर्गत इस आशय से प्रस्तुत की गयी है कि विपक्षी सं0–1 द्वारा पारित दण्डादेश दिनॉकित–30.12.2022 (याचिका संलग्नक संख्या–1) को निरस्त करते हुए विपक्षीगण को यह निर्देशित किया जाये कि वे समस्त परिणामी सेवा लाभ जो उक्त दण्डादेश के कारण रोके गये है याची को प्रदान करें।

2. याचिका के संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि याची की सर्वप्रथम नियुक्ति दिनांक 25.06.1996 को आबकारी निरीक्षक के पद पर की गयी थी। याची की दिनांक 16.08.2012 को सहायक आबकारी आयुक्त क्लास–2 अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी तथा याची दिनांक 28.02.2023 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हो गया। याची जब जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद में दिनांक 07.07.2014 से 02.03.2016 तक कार्यरत था उस सम्बन्ध में याची के विरूद्ध एक विभागीय कार्यवाही दिनांक 23.01.2017 के आदेश से प्रारम्भ की गयी थी जिसमें श्री राम सागर तिवारी, अपर आबकारी आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा याची के विरूद्ध 03 आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दिनांकित 31.05.2017 (याचिका संलग्नक संख्या–2) निर्गत किया गया था जिसे याची को दिनांक 08.06.2017 को प्राप्त कराया गया था। याची द्वारा अंतरिम स्पष्टीकरण दिनांकित 20.06.2017 (याचिका संलग्नक संख्या–3) प्रेषित करते हुए कुछ अभिलेखों की मांग करते हुए अपना पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 01 माह के अतिरिक्त समय की याचना की गयी थी। याची द्वारा दिनांक 19.07.2017 को अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांकित 19.07.2017 (याचिका

संलग्नक संख्या–4) प्रेषित करते हुए समस्त आरोपों का खण्डन किया गया था। याची द्वारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने के पश्चात्, दण्डाधिकारी ने पत्र दिनांकित 06.10.2017 (याचिका संलग्नक संख्या–5) द्वारा जांच अधिकारी चेंज करते हुए, श्री राजेश मणि त्रिपाठी, संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा याची से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करके पत्र दिनांकित 17.11.2017 (याचिका संलग्नक संख्या–6) प्रेषित करते हुए अन्य कोई लिखित कथन हो तो याची को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु जांच अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच की तिथि, समय व स्थान निर्धारित किये तथा बिना याची को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जांच आख्या दिनांकित 20.12.2017 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके पश्चात दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2018 को (याचिका संलग्नक संख्या–7) याची के विरूद्ध एक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था जिसके साथ संलग्न जांच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट था कि याची के विरूद्ध आरोप संख्या–1 एवं 03 सिद्ध नहीं पाये गये थे तथा आरोप सं0–2 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया था।

याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 10.04.2018 को (याचिका संलग्नक संख्या–8) प्रस्तुत किया गया था। परन्तु दण्डाधिकारी द्वारा लगभग 02 वर्ष तक याची के स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया तथा अचानक दिनांक 09.11.2020 को दण्डाधिकारी द्वारा पुन पत्र (याचिका संलग्नक संख्या–9) प्रेषित करते हुए, जांच अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित जांच आख्या को निरस्त करते हुए, डिवीजनल आयुक्त मेरठ को पुनः जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिनके द्वारा पुनः आरोप पत्र दिनांकित 11.02.021 (याचिका संलग्नक संख्या–10) निर्गत करते हुए याची का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 22.03.2021 को (याचिका संलग्नक संख्या–11) प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात जांच अधिकारी द्वारा तिथि, समय व स्थान नियत कर याची को सुनवाई का बिना कोई अवसर प्राप्त कराये जांच आख्या दिनांकित 21.08.2021 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रेषित किये जाने पर दण्डाधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस (याचिका संलग्नक संख्या–12) दिनांकित 21.09.2021 निर्गत करके याची का पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक–30.10.2021 को (याचिका संलग्नक संख्या–13) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात याची की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.2022 की तिथि नियत की गयी थी परन्तु उक्त तिथि पर याची की कोई सुनवाई दण्डाधिकरी द्वारा नहीं की गयी थी केवल एक फार्मेट पर याची को अपना सबमिशन लिखने हेतु कहा गया था। याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा उसके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये ही प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 30.12.2022 पारित कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर याची द्वारा प्रश्नगत याचिका दाखिल की गयी है।

3. विपक्षीगण द्वारा दिनांक 19.09.2023 को लिखित विवेचन/प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें याचिका में याची द्वारा किये गये अभिकथनों का खण्डन किया गया है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि याची की सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद के पद पर तैनाती अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला गाजियाबाद के लिये निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत अत्यन्त कम 78.2 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान जिला गाजियाबाद के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के उपभोग में गत वर्ष के सापेक्ष 24.5 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। बियर के उपभोग में प्रदेश स्तर पर गत वर्ष के सापेक्ष 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि रही किन्तु जिला गाजियाबाद में बियर के

उपभोग में वृद्धि मात्र 10.2 प्रतिशत रही। उक्त के कारण जिला गाजियाबाद में आबकारी राजस्व की प्राप्ति में 21.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। उल्लेखनीय है कि याची जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद के रुप में राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रति सजग और कर्तव्यपरायण नहीं रहे और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण शिथिल रहा जिसके कारण गाजियाबाद में राजस्व प्राप्ति की प्रर्दशन निम्न स्तर रहा जो शासकीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही का द्योतक पाये जाने के कारण याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 (यथासंशोधित) के नियम-3(1) व 3(2) के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 23.01.2017 द्वारा याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अपर आबकारी आयुक्त, (लाइसेसिंग एवं औद्योगिक विकास), मुख्यालय को जाँच अधिकारी नामित किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम सागर तिवारी, अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग एवं औद्योगिक विकास), मुख्यालय के स्थान पर श्री राजेश मणि त्रिपाठी, संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ को जाँच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र याची को पूर्व जॉच अधिकारी द्वारा प्राप्त कराया गया जिसके संबंध में याची द्वारा अपना बिन्दुवार उत्तर दिनांक 19.07.2017 पूर्व जॉच अधिकारी को दिनांक 25.07.2017 को प्रेषित किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 3440/अधि०/विभागीय जॉच / दिनांक 17.11.2017 के द्वारा याची को अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये किसी व्यक्ति से पृच्छा/प्रतिपृच्छा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। याची ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2017 के द्वारा जाँच अधिकारी को यह अवगत कराया गया कि उसे आरोप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से पृच्छा/प्रतिपृच्छा नहीं करनी है और उसके पूर्व में प्रस्तुत उत्तर को अन्तिम कथन मानते हुये उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में जॉच आख्या शासन को प्रेषित कर दी जाये। तदोपरान्त जाँच अधिकारी द्वारा जाँच कर अपनी जाँच आख्या पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

शासन द्वारा जॉच अधिकारी की उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या दिनांक 20.12.2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त जॉच आख्या को अस्वीकार करते हुये पुर्नजॉच कराये जाने हेतु मण्डलायुक्त, मेरठ को जाँच अधिकारी नामित किये जाने हेतु शासन का कार्यालय आदेश संख्या-1924/ई-1/तेरह-2020–422/16(10) दिनांक 09.11.2020 जारी किया गया। उक्त आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया है जो निम्नवत् है। "अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुये ऐसे कारणों से जो लिखित रुप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जाँच के लिये उसी या किसी अन्य जाँच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदोपरान्त जॉच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो. नियम-7 के उपबन्धों के अनुसार जाँच की कार्यवाही करेगा।" उपरोक्तानुसार पुर्नजाँच की सूचना शासन के पत्र संख्या-1924 (1)/ ई-1/तेरह-2020 दिनांक 09.11.2020 द्वारा दी गयी है। जाँच अधिकारी के पत्र संख्या-1131/14-04/2020-22 (रीडर) दिनांक 11.02.2021 द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से याची को आरोप पत्र संलग्नकों सहित तामील कराया गया।

याची द्वारा अपना उत्तर दिनांक 22.03.2021 जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, उत्तर में याची द्वारा किसी भी व्यक्ति से पृच्छ/ प्रतिपृच्छा का अनुरोध नहीं किया गया। अतः जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर तथा आरोप पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य के सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी जॉच आख्या दिनांक 21.08.2021 अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या-01 आंशिक रूप से सिद्ध तथा आरोप संख्या-02 एवं आरोप संख्या-3 पूर्णतया सिद्ध पाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या-1724/ई-1/तेरह-2021-422/16 (10) दिनांक 21.09.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत कर याची का अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2021 प्राप्त किया गया।शासनादेश सख्या1/2015/13/9/98/का-1-2015 दिनांक 22.04.2015 के प्रस्तर-4 (1) में विभागीय जाँच हेतु निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है–ः

‘‘किसी कार्मिक के विरुद्ध की जाने वाली जाँच हेतु जाँच अधिकारी पदनाम के आधार पर नियुक्त किया जायए ताकि जाँच अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रोन्नति/ सेवानिवृत्ति आदि की दशा में पुनः जाँच अधिकारी की नियुक्ति की औपचारिकता में लगने वाले समय के कारण सम्भावित विलम्ब व श्रम से बचा जा सके।" उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-1314 (एस०बी०)/2014 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आशीष निरजन व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-25240/2014 कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 एवं 14.05.2014 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्णय लिये गये है। याची को आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र दिनाक 11.02.2023 जिलाधिकारी, गाजियाबाद के द्वारा दिनाक 23.02.2021 को प्राप्त कराया गया। याची को आरोप पत्र में यह भी निर्देशित किया गया कि "आप लिखित रुप से यह भी सूचित करें कि क्या आप व्यक्तिगत रुप से सुनवायी का अवसर चाहते है अथवा नहीं। यदि हाँ तो आप जिन व्यक्तियों से पृच्छा-प्रतिपृच्छा करना चाहते है. अपने उत्तर के साथ उनके नाम व पते व उनसे अपेक्षित साक्ष्य के सूक्ष्म संकेत भी प्रस्तुत करें।"

याची द्वारा आरोप का उत्तर दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसमें याची द्वारा किसी व्यक्ति से पृच्छा प्रतिपृच्छा का अनुरोध नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जाँच अधिकारी द्वारा याची को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह पाते हुये कि याची द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु कुशल नेतृत्व प्रदान किया होता तो विदेशी मदिरा के उपभोग में गत वर्ष के सापेक्ष 1306815 बोतल की कमी न रही होती और इसी के सापेक्ष 55.54 करोड़ रुपया राजस्व की कम प्राप्ति न होती। इस आधार पर आरोप संख्या-02 और आरोप संख्या-03 सिद्ध पाया गया। आरोप संख्या-01 आंशिक रुप सिद्ध तथा आरोप संख्या-02 एवं आरोप संख्या-03 पूर्णतया सिद्ध पाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या-1724/ई-1/तेरह-2021-422/16 (10) दिनांक 21.09.2021द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत कर याची का अभ्यावेदन दिनांक 30. 10.2021 प्राप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि याची को दिनाक 18.01.2021 को

व्यक्तिगत रूप से सुना गया। याची द्वारा दिनांक 18.01.2022 को व्यक्तिगत सुनवायी के दौरान दिये गये उत्तर एवं अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2021 में उन्ही बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की गयी है जो याची द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपने उत्तर में पहले कही जा चुकी है। अतः याची के अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2021 को स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या, अपचारी कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं याची द्वारा दिनांक 18.01.2022 को व्यक्तिगत सुनवायी के दौरान दिये गये उत्तर पर सम्यक रुप से विचार करने के उपरान्त उक्तानुसार सिद्ध पाये गये आरोप के लिये याची को दिनांक 01.07.2018 को प्राप्त हुये वेतनमान पर स्थापित किये जाने के दण्ड के साथ विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करते हुये परिनिन्दा प्रविष्टि की शास्तियां अधिरोपित किये जाने का विनिश्चिय कर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सहमति हेतु प्रकरण पत्र संख्या 663/ई-1/तेरह -2022-422/16 (10) दिनांक 27.06.2022 द्वारा सन्दर्भित किया गया। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-53(1)/39/ ए०डी०सी०/एस-5/2022-23 दिनांक 21.12.2022 द्वारा उपरोक्त दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत याची को दिनांक 01.07.2018 को प्राप्त हुये वेतनमान पर स्थापित किये जाने के दण्ड के साथ परिनिन्दित करते हुये दण्डादेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या-3097/ई-1/ तेरह-2022-422/16 (10)/दिनांक 30.12.2022 पारित किया गया, जो विधि सम्मत नियमानुसार एवं मुखरित है जिसके पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

4. याची की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. हम लोगों द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहनता से परिशीलन किया गया।

6. विद्वान् अधिवक्ता (याची) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याची के विरूद्ध की गयी जांच में कोई भी तिथि, समय एवं स्थान नियत नहीं किया गया है और न ही कोई मौखिक साक्ष्य अंकित किया गया तथा न ही याची को कोई प्रति परीक्षा का अवसर ही दिया गया है। इस प्रकार याची के प्रकरण में की गयी पूरी जांच दूषित है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची के लिखित स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये कारण रहित दण्डादेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकार दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है और याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (विपक्षीगण) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जांच के क्रम में तिथि, समय एवं स्थान नियत करते हुए याची को प्रति परीक्षा का अवसर दिया गया था। याची द्वारा प्रति परीक्षा से इन्कार करने पर अग्रिम कार्यवाही की गयी थी, जिसमें कोई भी विधिक त्रुटि नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जांच पूर्ण की गयी है। प्रारम्भिक जांच में याची को दोषी पाये जाने पर, याची को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा याची के स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचार करते हुए, सकारण एवं मुखरित आदेश द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 30.12.2022 पारित किया गया है। प्रश्नगत दण्डादेश

पारित करने में दण्डाधिकारी द्वारा कोई भी विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नही कारित की गयी है। याची की याचिका पूर्णतया तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो, तथ्यों एवं प्रपत्रों के परिशीलन एवं अध्ययन से यह विदित होता है कि याची के विरूद्ध 03 आरोप लगाते हुए, आरोप पत्र दिनांकित 31.05.2017 (संलग्नक–2) निर्गत किया गया था जिसका लिखित स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 19.07.2017 को प्रस्तुत करते हुए अपने विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार किया गया था। पत्रावली में शामिल कारण बताओ नोटिस (संलग्नक–7) के साथ संलग्नक जांच आख्या के मुताबिक जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच में याची के विरूद्ध लगाया गया आरोप संख्या–2, आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया था, जिसका लिखित स्पष्टीकरण याची से मांगा गया था। याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक–10.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। परन्तु दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2020 को पुनः पत्र प्रेषित करते हुए, जांच अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित जांच आख्या को निरस्त करते हुए, डिवीजनल आयुक्त मेरठ को पुनः जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा पुनः आरोप पत्र दिनांकित 11.02.021 निर्गत करते हुए याची का स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 22.03.2021 को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात जांच अधिकारी, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा जांच आख्या दिनांकित 21.08.2021 (संलग्नक–12) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रेषित की गयी जिसमें जांच अधिकारी द्वारा यह उल्लिखित किया गया था कि ''**अतः शासन से प्राप्त आरोप पत्र एवं उसके सम्बन्ध में आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर तथा उपलबध अभिलेखों के आधार पर जांच सम्पादित करते हुए जांच आख्या पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।** तत्पश्चात् आरोप सं0–2 के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष अंकित किया गया था कि ''**अपचारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन जनपद, गाजियाबाद में प्रवर्तन कार्य का कोई अनुकूल प्रभाव राजस्व पर नहीं पड़ा, अपचारी अधिकारी की शिथिल कार्यप्रणाली एवं लापरवाही का द्योतक है तथा राजस्व की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति इनकी उदासीनता को परिलक्षित करता है। उपरोक्त आरोप पूर्णतया सिद्ध पाया जाता है।**'' तत्पश्चात आरोप सं0–1 का उल्लेख करते हुए, आरोप की पुष्टि में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखीय साक्ष्य, आरोप सं0–1 के सम्बन्ध में आरोपित अधिकारी के उत्तर, अंकित करने के पश्चात जांच अधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध आरोप सं0–1 को आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया था। आरोप सं0–2 के सम्बन्ध में भी, आरोप सं0–2 का उल्लेख करने के उपरांत, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखीय साक्ष्य, आरोपी का उत्तर, आरोप सं0–2 पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था जिसके निष्कर्ष में आरोप सं0–2 के आरोप पूर्णतः सिद्ध पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार आरोप सं0–3 का उल्लेख करते हुए आरोपित अधिकारी के उत्तर का उल्लेख करते हुए, जांच अधिकारी का निष्कर्ष आरोप सं0–3 पर उल्लिखित किया गया है और आरोप सं0–3 को पूर्णतः सिद्ध पाये जाने का उल्लेख किया गया है।

9. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांकित 21.08.2021 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जांच अधिकारी द्वारा मौखिक जांच करने हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारित किया था अथवा नहीं। उक्त तिथि को याची से व अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से क्या पूंछ–तांछ हुयी, उसके बारे में जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी ने कोई मौखिक जांच नहीं की है। **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 1999 के नियम 7 (vii)** में निम्नवत प्राविधान हैः–

"**नियम 7 (vii)–जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे** अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोप पत्र के लिखित उत्तर में यदि आरोपी द्वारा **आरोपों को अस्वीकार किया गया है तो जांच अधिकारी द्वारा मैखिक साक्ष्य** अंकित करने की कार्यवाही वाध्यकारी प्रावधान है। साक्ष्य अंकित करने के क्रम **में आरोपी कर्मचारी को साक्षीगण के प्रति परीक्षा का अवसर दिया जाना** आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में जांच अधिकारी द्वारा न तो कोई मौखिक साक्ष्य **अंकित की गयी है, न ही याची/आरोपी को कोई प्रति परीक्षा का अवसर प्राप्त हुआ, स्पष्टतः नियम–7 (vii) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 1999 का अनुपालन नहीं किया गया, फलस्वरूप जांच दूषित हो गयी।**

10. **माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा योग नारायण दूबे बनाम प्रबन्ध निदेशक व अन्य 2012 (29) LCD 2024** में यह अवधारित किया है कि यदि जांच अधिकारी केवल अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र के सम्बन्ध में दिये गये जवाब के आधार पर जांच आख्या प्रस्तुत कर देता है और कोई मौखित जांच तिथि, समय व स्थान निर्धारित करते हुए नहीं करता है तो वह जांच रिपोर्ट दूषित मानी जायेगी।

11. विभागीय कार्यवाही में मौखिक जांच की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **राधे कान्त खरे बनाम उ0प्र0 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड, 2003 (21) एल0सी0डी0, पेज–610** में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

> **" after a chargesheet is given to the employee, an oral enquiry is a must, whether the employee requests for it or not. Hence a notice should be issued to him indicating him the date, time and place of the enquiry. On that date the oral and documentary evidence against the employee should first be led in his presence vide A.C.C. Ltd. V. Their Workmen (1963) 11 LLJ 396 (SC)."**

12. यही व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम खरक सिंह (2008) 2 एल0 एण्ड एस0, एस0सी0सी0, 698** में इस प्रकार दी है–

" The enquiry must be conducted bonafide and care must be taken that it does not become mere formalities. In an enquiry, the employer/department should take steps first to lead evidence against the workman/delinquent charged and give an opportunity to him to cross-examine witnesses of the employer. Only thereafter, the workman/delinquent be asked whether he wants to lead any evidence and asked to give any explanation about the evidence led against him.

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उ0 प्र0 राज्य व अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा सिविल अपील नं0–254/2008 (2010) 1 एस0सी0सी0 (एल0 एण्ड एस0) 675** में निम्न निर्देश दिये गये हैं–

"That in the departmental inquiry the principles of natural justice should be complied with and failure on the part of the Inquiring Officer to fix any date for conducting inquiry and failure to examine the witnesses in support of the charges levelled, vitiates the entire proceedings for their being in violation of the rules of natural justice and mandatory rules- The U.P. Government Servants (Discipline & appeal) Rules, 1999. "

14. इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **रामलाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, 2014 (32) एल0सी0डी0, 1935** में दिये गये निम्न विचार भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं–

" Since no oral evidence has been examined, the documents have not been proved, and would not have been taken into consideration to conclude that the charges have been proved against the respondents. "

मा0 न्यायालय ने आगे कहा है कि–

"There is nothing to show that enquiry was conducted on any date. The enquiry report does not show that any witness was examined to prove the documentary evidence of the Department. Accordingly, the statement of the petitioner that no enquiry has been conducted, appears to be correct."

15. उपर्युक्त न्यायिक व्यवस्थायें इस निष्कर्ष को बल देती हैं कि वर्तमान प्रकरण में जांच का कार्यक्रम नियत न करके, मौखिक या किसी भी तरह की कोई तथ्यान्वेषी जांच न करके तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तथ्यों को सिद्ध करने की कार्यवाही न करके जांच अधिकारी द्वारा न केवल संगत विधि का हनन किया गया है अपितु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की भी उपेक्षा की गयी है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others (2009)2 SCC 570**, में निम्नलिखित व्यवस्था दी हैः—

> **"that the materials brought on record pointing out the guilt are required to be proved. A decision must be arrived at on some evidence, which is legally admissible. Mere production of documentary evidence is not enough. Contents of documentary evidence have to be proved by examining the witnesses."**

17. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **Moti Ram versus State of U.P. and others [2013 (31) LCD 1319],** में निम्नलिखित व्यवस्था दी हैः—

> **"that after referring the various judgment of the Hon'ble Apex Court with regard to the importance of holding oral enquiry after the charge-sheet is given to the employee held that a proper opportunity must be afforded to Government servant at the stage of enquiry after the charge-sheet is supplied to the delinquent as well as at the second stage when punishment is about to be imposed on him."**

18. मा0 उच्च न्यायालय ने **Ayaaub khan Noor khan pathan Vs. State of Maharashtra and Others A.I.R 2013 S.C. 58** में निम्न अवधारित किया हैः—

> "cross examination is an integral part of the Principles of Natural justice, and a statement recorded behind back of a person wherein the delinquent had no opportunity to cross examination such persons, the same cannot be relied upon."

19. मा0 उच्च्तम न्यायालय ने **अनिल कुमार बनाम प्रोसाइडिंग आफीसर, ए0आई0आर0 1995, सु0को0 पृष्ठ 1121** में यह व्यवस्था दी गयी कि विभागीय कार्यवाही एक अर्ध न्यायिक कार्यवाही होती है, उसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाना चाहिये, जिस जांच आख्या में साक्ष्य का पूर्णतया अभाव हो, उसके आधार पर दण्डित नही किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत याची की याचिका में बल है इसलिए याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है तथा दण्डादेश दिनांकित 30.12.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांकित 30.12.2022 (संलग्नक संख्या–1) निरस्त किया जाता है। यदि इस आदेश के कारण याची को किसी सेवालाभ से वंचित किया गया है तो उक्त सेवालाभ याची को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाय। विपक्षीगण इस निर्णय एवं आदेश का अनुपालन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(डा0 रमाशंकर मौर्य)
सदस्य(प्रशा0)

ह0/–
(वीर नायक सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(डा0 रमाशंकर मौर्य)
सदस्य(प्रशा0)

ह0/–
(वीर नायक सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः–अप्रैल 23, 2024
वी0के0पटेल/पी0ए0